

राजस्थान सरकार

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)

मिसल नं.- 374

दिनांक:- 29.05.2018

अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

### :: निर्णय ::

प्रार्थी लक्ष्मण पिता जगमाल भील निवासी अन्दरखेत तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत सुन्दरपुर में दिनांक 29.05.2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले.रे.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा अन्दरखेत पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित आराजी नं. 1133 कुल रकबा 03 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है और लड़ाई झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी करना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी श्री मोहन पिता जगमाल भील निवासी अन्दरखेत ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम अन्दरखेत की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 खसरा नं. 1133 रकबा 03 बिस्वा की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं पत्थरगढी हेतु सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा अन्दरखेत में स्थित आराजी नं. 1133 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 01 की पत्थर गढी करने का हकदार है।

लिहाजा मौजा अन्दरखेत में स्थित आराजी नं. 1133 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 01 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, डूंगरपुर भू.अ. निरीक्षक सुरपुर के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रु. 500/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[CN-2018/00423]

(दीपक मेहता)  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगरपुर